अवैध धंधा

अवैध प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय का मामला

18 कालोनाईजर को कारण बताओ नोटिस

▶ 8 कॉलोनाईजर पर 50-50 हजार रुपए एवं 10 कालोनाईजर पर 1-1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

नवभारत, बालाघाट। वारासिवनी एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल ने नियम विरूद्ध अवैध प?लाटिंग कर भूखंड विक्रय किये जाने के मामले में 18 कालोनाईजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके द्वारा तैयार की जा रही कालोनी का प्रबंधन मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत नियम 2014 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया जाए। इन कालोनाईजर्स को 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।

एसडीएम श्री जायसवाल ने 08 कालोनाईजर पर 50-50 हजार रुपए एवं 10 कालोनाईजर पर 01-01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 10 दिनों के भीतर यह राशि चालान के माध?यम से जमा कर एसडीएम कोर्ट में चालान की प्रति जमा करने कहा गया है। इन कालोनाईजर द्वारा छोटे-छोटे भूखंड विक्रय किये जाने पर तत्काल रोक लगायी गई है। तहसीलदार वारासिवनी को निर्देशित किया गया है कि इन कालोनाईजर्स द्वारा ग्राम वारा , रामपायली, सिकिंद्रा एवं डोंगरमाली में भूखंड विक्रय की जानकारी प्राप?त होने पर तत?काल एसडीएम कोर्ट को सूचित करें।

अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय करने के मामले में कालोनाईजर वारासिवनी निवासी श्री आशीष और मंगलम डेवलपर्स, बालाघाट निवासी ऋषभ जैन व शीतला चंद जैन, सिकंद्र निवासी हीरालाल व देवाजी नंदनवार, रामपायली निवासी श्री परमेश्वरदास बैरागी व श्रीराम कमर्शियल काम्प्लेक्स, डोंगरमाली निवासी जसवंत पिता लेखीराम और मनीष वल?द रमेश, वारासिवनी निवासी कन्हैयालाल पात्रे पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन कालोनाईजर द्वारा वारासिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम रामपायली, वारासिवनी, डोंगरमाली, वारा में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय किये जा रहे थे। इसी प्रकार कालोनाईजर सिकंद्रा निवासी श्री सुभाष पारधी पिता तेनसिंह पारधी, वारासिवनी निवासी पुरुषोत्तम पिता रामचंद्र डेकाटे, लालपुर निवासी जसवंत पिता लेखीराम पटले, वारासिवनी निवासी श्रीमती कल्पना सुराना पति तरुण जैन, रामपायली निवासी गोपाल, प्रकाश व शैलेष पिता ब्रजमोहन, रामपायली निवासी दुनेश पिता जेठानंद सिंधी, मेसर्स श्रीनाथ डेवलपर्स एवं मेसर्स वासुदेव डेवलपर्स, चंद्रकिरण सिंह पिता उत्तम सिंह, डोंगरमाली निवासी श्रीमती शांता पति संपत, श्री हीरलाल पिता मोडक्या, श्री संतोष पिता ताराचंद द्वारा ग्राम डोंगरमाली, सिकंद्रा, रामपायली में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय करने के कारण उन पर 01-01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी कालोनाईजर्स के भूखंड विक्रय पर एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल द्वारा रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इन कालोनाईजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क?यों न उनके द्वारा तैयार की जा रही कालोनी का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया जाए। इन कालोनाईजर्स को 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।

उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में कक्षा नवमीं में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

नवभारत, बालाघाट। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा नवमीं में प्रवेश प्रक्रिया 17 मार्च 2026 से प्रारंभ कर दी गई है। प्रभारी प्राचार्य श्री शरद ज्योतिषी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा एमपीएसओएस के माध्यम से 8 फरवरी 2026 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 9 मार्च 2026 को घोषित किया जा चुका है। प्राचार्य श्री ज्योतिषी ने बताया कि चयन सूची एवं विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित छात्र-छात्राएं 17 मार्च से कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक विद्यालय से प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (प्रिंट आउट), समग्र आईडी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा। साथ ही कक्षा आठवीं का परिणाम घोषित होने के बाद उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति एवं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन ने सभी चयनित विद्यार्थियों से समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।

पीजी कॉलेज बालाघाट में अतिथि व्याख्यान का आयोजन

▶ सिंधु घाटी सभ्यता पर हुआ विस्तृत विमर्श

नवभारत, बालाघाट। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट में मंगलवार 17 मार्च 2026 को इतिहास विभाग द्वारा अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार मराठे के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, नर्मदापुरम संभाग भोपाल के अधिकारी डॉ. डी.पी. ग्वालवंशी उपस्थित रहे। उन्होंने इतिहास विषय के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव, विकास एवं विस्तार पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉ. ग्वालवंशी ने बताया कि 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ हुई, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने सांची के बौद्ध स्तूपों की खोज में भी जॉन मार्शल के योगदान का उल्लेख किया। व्याख्यान के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया। इतिहास विभाग की डॉ. रचना कोरी ने भी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम का संचालन सुश्री प्राशु गौतम ने किया, जबकि डॉ. आशा गोहे ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एम.ए. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

7 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीदी जिले में बनाए गए 13 उपार्जन केंद्र

नवभारत, बालाघाट। रबी विपणन मौसम 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जिले में कुल 13 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां 07 अप्रैल 2026 से खरीदी प्रारंभ होगी। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आरके ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस पर शासन द्वारा 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा पर इन केंद्रों का चयन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल सके।

खरीदी प्रक्रिया निर्धारित एफ.ए.क्यू. (स्वत्त) मापदंडों के अनुसार ही की जाएगी। साथ ही, नॉन-एफ.ए.क्यू. गेहूं की सफाई के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। इनमें बड़ा छन्ना, पंखा, क्लीनिंग एवं ग्रेडिंग मशीन और नमी मापक यंत्र शामिल हैं। इन सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संबंधित समिति संचालकों को सौंपी गई है। जिले की विभिन्न तहसीलों में स्थापित उपार्जन केंद्रों में बालाघाट, किरनापुर, लांजी, वारासिवनी, लालबर्रा, खैरलांजी, कटंगी, बैहर, बिरसा और परसवाड़ा क्षेत्र शामिल हैं, जहां सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी की जाएगी। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से उपार्जन केंद्रों पर पहुंचकर अपनी उपज का विक्रय करें और शासन की समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाएं।

आदिवासी कन्या अंग्रेजी आश्रम स्कूल परसवाड़ा में कक्षा पहली के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

परसवाड़ा। जिले के परसवाड़ा स्थित सांदीपनि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत संचालित आदिवासी कन्या अंग्रेजी आश्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत पात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 वर्ष से 7 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में की जाएगी। इच्छुक अभिभावक 18 मार्च 2026 से सांदीपनि विद्यालय परसवाड़ा से कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र कन्या अंग्रेजी आश्रम परसवाड़ा में जमा किए जाएंगे।

बिरसा में 'मेरा बाघ, मेरा विद्यालय' कार्यशाला का आयोजन

▶ विद्यार्थियों को मिला वन संरक्षण का संदेश

नवभारत, बैहर। शासकीय मॉडल स्कूल, बिरसा में मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा प्रायोजित 'मेरा बाघ, मेरा विद्यालय' थीम पर एक प्रेरणादायी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त किए।

कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के पूजन-अर्चन के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में वन परिक्षेत्र बिरसा/दमोह उत्तर (सा.) वनमंडल के वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सौरभ शरणागत उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में बाघ संरक्षण, पर्यावरण संतुलन तथा प्रकृति से जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 'बाघ बचाओ, जंगल बचाओ' का संदेश दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि वन्यजीव पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनके संरक्षण के बिना मानव जीवन भी प्रभावित हो सकता है। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने कई जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे, जिनका सरल और व्यवहारिक तरीके से समाधान किया गया।

कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कु. अनुसुईया उइके ने प्रथम, लोमन चौधरी ने द्वितीय तथा आदित्य गरुण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। समापन अवसर पर संस्था प्रमुख श्री सौरभ कुमार शर्मा ने वन विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत सहायक होते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण एवं वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनके सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

प्रस्फुटन शक्ति संचय अभियान कार्यक्रम आयोजित

नवभारत, परसवाड़ा। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड परसवाडा नवांकुर सेक्टर परसवाडा का प्रस्फुटन शक्ति संचय अभियान के अंतर्गत प्रस्फुटन समितियों का एक दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद पंचायत परसवाडा के सभागार में सम्पन्न हुआ जिसमें मुख्य वक्ता श्री टहेलसिंह पटले अध्यक्ष नवांकुर संस्था परसवा ड़ा ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया एवं जन अभियान परिषद के कार्यों पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण जल संरक्षण नशामुक्ति अभियान और उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा प्रस्फुटन समितियों के कार्यों दस्तावेजीकरण एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में

प्रस्फुटन समितियों की भागीदारी व शासन की कल्याणकारी योजना में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शासन एवं समाज के मध्य एक कड़ी के रूप में कैसे कार्य करें एवं ज्यादा से ज्यादा समाज को शासन की योजनाओं का लाभ कैसे दिलाएं बताया। वहीं कार्यक्रम में वक्ता एवं परामर्श दाता श्री सौहेंद्र पंचतिलक ने प्रतिभागियों को जैविक उन्नत कृषि एवं पशुपालन की जानकारी दी एवं नवांकुर सखी योजना के लिए नर्सरी में किस तरह बीजों का रोपण कर वृक्षारोपण के लिए पौधे तैयार करें जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में वक्ता एवं परामर्श दाता श्री दिनेश वरकड़े मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत एम.एस.डब्ल्यू एवं बी.एस.डब्ल्यू की कक्षाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं भाजपा मण्डल अध्यक्ष श्री योगेश शरणागत द्वारा जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम समापन की घोषणा श्री दिनेश वरकड़े जी के द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में परामर्श दाता तीमेश्वरी शरणागत, परामर्श दाता इंदल सिंह धुर्वे, नवांकुर परसवाडा नारी महिला शक्ति संघ सचिव श्रीमती सुषमा चौधरी, लोकेश पिटनिया, कैलाश समरत सहित ग्राम विकाश प्रस्फुटन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में परामर्श दाता श्री दिनेश वरकड़े रहें।

आदिवासी कन्या अंग्रेजी आश्रम स्कूल परसवाड़ा में कक्षा पहली के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

नवभारत, बालाघाट। जिले के परसवाड़ा स्थित सांदीपनि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के अंतर्गत संचालित आदिवासी कन्या अंग्रेजी आश्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत पात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 वर्ष से 7 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में की जाएगी। इच्छुक अभिभावक 18 मार्च 2026 से सांदीपनि विद्यालय परसवाड़ा से कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र कन्या अंग्रेजी आश्रम परसवाड़ा में जमा किए जाएंगे। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, प्रोफाइल पंजीयन, आधार कार्ड, छात्रा के बैंक खाते तथा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन लेने से पहले स्थायी निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक बताया गया है। विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि आवेदन में दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई जाती है तो प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। यदि आवेदनों की संख्या अधिक होती है तो चयन प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की जाएगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत घोडादही जनपद पंचायत परसवाड़ा

क्रमांक/Q/2026 — **निविदा सूचना** — दिनांक :- 18/03/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि ग्राम पंचायत घोड़ादही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना,15 वित्त, 5 वां वित्त, विधायक निधि, सांसद निधि, गौण खनिज, जनपद निधि, स्वच्छ भारत मिशन जीरामजी आदि अन्य मदों से विभिन्न विकास कार्यो के लिए प्रयुक्त निर्माण सामग्री-सीमेंट, ईट, गिट्टी, लोहा, रेत, मुरूम, पानी टैंकर, मिक्सर मशीन, दरवाजे खिड़की, इलेक्ट्रानिक उपकरण, कम्प्यूटर सामग्री, सीमेंट कुर्सी लोहा कुर्सी, पुल-पुलिया आदि रजिस्टर्ड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर वेंडर के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 18/03/2026 से 25/03/2026 तक कार्यालयीन समय पर कार्यालय ग्राम पंचायत घोडादही में वर्ष 2026-27 के लिये आमंत्रित है। निविदा खुलने का दिनांक 27/03/2026 को समय 11.00 बजे रहेगा।

संरपच	उपसरपंच	सचिव	सहायक सचिव
श्रीमती सेहरबती पंद्रे	श्रीमती कीर्तन ठाकरे	श्री रुपलाल तिल्लासी	शिवप्रसाद नवलाखे

एवं समस्त पंचगण ग्राम पंचायत घोड़ादही

कार्यालय ग्राम पंचायत मोहगांव जनपद पंचायत कटंगी जिला बालाघाट (म.प्र.)
साप्ताहिक बैठकी बाजार एवं मवेशी बाजार वर्ष-2026-27

क्रमांक / 131/नि.सू./ 2026 — दिनांक-07/03/2026

निलामी हेतु नियम व शर्तें

ग्राम पंचायत मोहगांव के क्षेत्राधिन अंतर्गत साप्ताहिक बैठकी बाजार तथा मवेशी ब्रिकी की निलामी वर्ष 2026-27, दिनांक. 01-04-26 से दिनांक 31-03-27 तक के लिए निम्नलिखित शर्तो के आधार पर निलामी किया जाना है।

1. साप्ताहिक बैठकी बाजार एवं मवेशी बाजार, ग्राम पंचायत मोहगांव की निलामी वर्ष 2026-27, दि. 01-04-26 से दि. 31-03.27 तक एक वितीय वर्ष की अवधी हेतू होगी।
2. निलामी कार्यवाही ग्राम पंचायत भवन मोहगांव में दिनांक 19.03.26 दिन गुरुवार को दोपहर 12.00 बजे से प्रारम्भ होगी, उक्त तिथि पर निलामी नहीं होने पर दिनांक 20.03.26 दिन शुक्रवार को होगी, उक्त तिथि पर भी निलामी नहीं होने पर दिनांक 21.03.26 दिन शनिवार को होगी, निलामी के समस्त अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगे।
3. म.प्र. पंचायती राज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 व म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1995 (फीस संग्रहक का पट्टा) नियम के अंतर्गत बने नियमों का पालन करते हुये निलामी की जावेगी।
4. सफल बोलीदार / ठेकेदार को मध्यप्रदेश शासन का राजपत्र क्रमांक-559 भोयाल बुधवार दिनांक 12-10-2022 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभवन भोपाल- दिनांक 12 अक्टूम्बर 2022 के राजपत्र का पालन करना होगा।
5. ठेकेदार पंचायत राज अधिनियम 1993 एवं सम्पादित अनुबंध का पालन करने बाध्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा सरकारी बोली (अपसेट प्राईज) 2558333.00 रुपये पच्चीस लाख अन्ठावन हजार तीन सौ तैतीस रुपए साप्ताहिक मवेशी बाजार हेतु, तथा साप्ताहिक बैठकी बाजार (अपसेट प्राईज) 80200-00 अस्सी हजार दो सौ रुपये होंगी।
6. बोली बोलने से पूर्व इच्छुक बोलीदार को बोली दिनांक- 19-03-26 तक कार्यालयीन समय में आपसेट प्राईज की 10 प्रतिशत अमानत राशि 255833.00 दो लाख पचपन हजार आठ सौ तैतीस रुपए नगद अथवा डी.डी जमा करना होगा। बोली उपरान्त सफल बोलीदार को छोड़कर शेष बोलीदार की 10 प्रतिशत अमानत राशि बोली के तुरन्त बाद वापस की जायेगी।
टीप-सफल बोलीदार द्वारा बोली के 10 प्रतिशत अमानत राशि 255833.00 अंतिम किस्त में समायोजन किया जायेगा
7. सरकारी बोली अपसेट प्राइज 2558333.00 रुपए साप्ताहिक मवेशी बाजार हेतु, तथा 80200-00 रुपए साप्ताहिक बैठकी बाजार हेतु अपसेट प्राइज होगी।
8- सफल बोलीदार को ठेका नीलामी 1/4 राशि (10 प्रतिशत अमानत राशि को छोड़कर) बोली उपरान्त तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा, तथा शेष राशि का भुगतान माह- सितम्बर तक 3 किश्तों में जमी करना अनिवार्य होंगा।
9. निलामी के एक सप्ताह के भीतर 1000.00 एक हजार रुपये के स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर इकरारनामा, स्वयं के व्यय पर ग्राम पंचायत में जमा करना अनिवार्य तथा, 3 ब्लैंक चैक एवं सालबंसी सफल बोलीदार द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
10. बोली बोलने के पूर्व इक्छुक बोलीदार को 2 आईडी प्रूफ-1- आधार कार्ड 2- वोटर कार्ड 3- ड्राइवर लाइसेंस, 4- पेन कार्ड, 5-राशनकार्ड 6- जॉबकार्ड 7- समग्र आई.डी. में कोई - 2
11. पूर्व बाजार निलामी के बकायादार ठेकेदारों को निलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
12. ठेकेदार को ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किये गये दर अनुसार बाजार की वसूली करना होंगा (निरखनामा की राशि चावड़ी। दिवारपर आम नागरिको के लिये लिखवाना अनिवार्य है)
13. बाजार स्थल की साफ-सफाई एक दिन पूर्व, एक दिन बाद) तथा (पेयजल") पानी की व्यवस्था ठेकेदार को की होगी।
14. सफल बोलीदार, ठेकेदार द्वारा निर्धारित एजेन्ट" जो बाजार में वसूली हेतू नियुक्त किये जायेगे उनके फोटो परिचय पत्र सरपंच /सचिव द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त ही वसूली हेतू लगाये जावेगे।
15. ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणित कि गई (रसीद बुक) पर महसूल वसूली ठेकेदार या उनके लगाये ऐजेन्टो द्वारा कि जायेगी (रसीद बुक) का संधारण ग्राम पंचा. के स्टाक पंजी में होगा।
16. निर्धारित राशि (आपसेट प्राईज) कम बोली आने पर उच्चाधिकारी एवं पंचायत द्वारा परामर्श करने के पश्चात ही ठेका स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
17. अधिकतम बोली सम्बन्धित पंचायत द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्याधिन रहते हुये स्वीकार की जावेगी, परन्तु बोली कम आने कलेक्टर महोदय या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी से स्वीकृत की जा सकेगी।
18. संपूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेंगे, पंचायत का निर्णय सर्वमान्य होगा।

सचिव, ग्राम पंचायत मोहगाँव, जनपद पंचायत कटंगी — उर्मिला पटले, सरपंच, ग्राम पंचायत मोहगाँव, जनपद पंचायत कटंगी

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आवेदकों की समस्या

▶ 87 आवेदकों ने दिये अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन

नवभारत, बालाघाट। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 17 मार्च को कलेक?ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, श्री डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 87 आवेदक अपनी समस?या लेकर आए थे।

वारासिवनी तहसील के ग्राम मंगेझरी की धुरपता कुमरे पति की मृत्यु के बाद परिवार सहायता योजा एवं शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग लेकर आयी थी। धुरपता का कहना था कि पहले वे ग्राम पंचायत रमरमा में निवास

करते थे, उसके पति मनोज कुमरे की 14 जुलाई 2024 को रमरमा में मृत्यु हो गई। ग्राम पंचायत द्वारा त्रुटिवश पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में आयु 62 वर्ष लिखी गई है, जबकि उसके पति की आयु स्कूल रिकार्ड के आधार पर 57 वर्ष की थी। पति के मृत्यु के बाद उसे अब तक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं संबल योजना का लाभ नही मिला है। अत: उसके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार कर उसे शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इस प्रकरण में सामाजिक न्याय विभाग की जिला समन्वयक को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है। बालाघाट तहसील के ग्राम नैतरा के घनश्याम लिल्हारे शिकायत लेकर आये थे कि उनके गांव के सहायक सचिव पवन लिल्हारे, मदन लिल्हारे एवं चेतन लिल्हारे द्वारा सार्वजनिक स्थल रोड किनारे उसके घर के सामने घुडा बनाकर अपशिष्ट पदार्थ कुडा, करकट, गोबर, मलमूत्र आदि रोजाना फेका जाता है। जिसकी वजह से उनके पूरे मोहल?ले एवं वार्ड में गंदगी का अंबार लगा रहता है। ग्राम पंचायत नैतरा में शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नही दिया जा रहा है और सरपंच संतोष लिल?हारे द्वारा गंदगी फैलाने वाले इन लोगो को संरक्षण दिया जा रहा है। सरपंच द्वारा कहा जाता है कि हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता है। इस प्रकरण में जनपद पंचायत बालाघाट के सीईओ को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है। कटंगी तहसील के ग्राम सीताखोह के ज्ञानीराम बोपचे शिकायत लेकर आये थे कि उसके भाई झनकराम बोपचे द्वारा अपने घर पर आटा चक्की लगायी गई है, जिससे तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। चक?की में हल्दी, मिर्च मसालों की पिसाई के दौरान वायु प्रदूषण होता है और छोटे बच्चें एवं लोगो की तबियत खराब होती है। अत: झनकराम बोपचे द्वारा लगायी गई आटा चक्की को तत?काल बंद कराया जाए। इस प्रकरण में तहसीलदार कटंगी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है। वार्ड नं.33 हरिओम नगर बालाघाट की निवासी प्रिया दमाहे अपने दिव्यांग पुत्र ऋषि दमाहे को सीएम राईज विद्यालय बालाघाट में प्रवेश दिलाने और उसे दिव्यांग छात्रवृत्ति दिलाने की मांग लेकर आयी थी।

कलेक्टर ने की सीएम हेल्पलाईन की स्वास्थ्य विभाग की लंबित शिकायतों की सुनवाई

बालाघाट, नवभारत। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने 17 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को समक्ष में बुलाकर उनके विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाईन की लंबित शिकायतें के निराकरण के लिए समक्ष में सुनवाई की। इस दौरान 200 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों को सुना गया और उनका निराकरण कराया गया। इस दौरान प्रसूति सहायता व जननी सुरक्षा योजना के लंबित प्रकरणों का 02 दिनों के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये गए। समक्ष में सुनवाई के पूर्व ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों का भुगतान कर दिया गया है। इस दौरान प्रभारी सीएचएमओ डॉ. ऋत्विक पटेल, सिविल सर्जन डॉ. निलय जैन, डीपीएम विक्रय सिंह ठाकुर, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती दीपमाला सोलंकी उपस्थित थी। ताराचंद दुधबुरे द्वारा सीएम हेल?पलाईन में शिकायत की गई थी कि उनकी पत्नी सरिता का नसबंदी ऑपरेशन असफल हो गया था, जिसके कारण उन्हें अब तक मुआवजा नही मिला है। यह शिकायत 511 दिनों से निराकरण के लिए लंबित थी। समक्ष में सुनवाई के दौरान सिविल सर्जन डॉ. निलय जैन द्वारा बताया गया कि इस शिकायत का निराकरण कर दिया गया है और मुआवजा राशि के लिए प्रकरण शासन को भेज दिया गया है। संध्या पंचेश्वर द्वारा शिकायत की गई थी कि 05 अप्रैल 2024 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में उसका प्रसव हुआ था लेकिन उसे जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना की राशि नही मिली है। यह शिकायत निराकरण के लिए 381 दिनों से लंबित थी। समक्ष में सुनवाई के दौरान सिविल सर्जन डॉ. निलय जैन द्वारा बताया गया कि संध्या पंचेश्वर का समग्र आईडी अनमोल साफ्टवेयर में अपडेट नही होने के कारण उसका भुगतान नही हो पाया था।